विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0024712

मेसर्स इंदिरा स्क्यिूरिटी प्रा. लि.,
28–2 ओल्ड पलासिया, शॉप नंबर 105, — **आवेदक**
अमर दर्शन अपार्टमेंट, इन्दौर

विरूद्ध

प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर — **अनावेदकगण**

मुख्य सतर्कता अधिकारी,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
इन्दौर

(आदेश दिनांक 12.03.2013)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन के प्रकरण क्रमांक W0230612 मेसर्स इंदिरा स्क्यिूरिटी प्रा. लि. विरूद्ध मुख्य सतर्कता अधिकारी, में पारित आदेश दिनांक 07.06.2012 से व्यथित होकर यह अभ्यावेदन आवेदक उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर के समक्ष जो शिकायत की थी उसमे विद्युत वितरण करने के लिये उत्तरदायी कंपनी अर्थात वितरण लाइसेंसी को पक्षकार के रूप में संयोजित नही किया गया था।

3. आदेश पत्र में पारित आदेश दिनांक 10.12.2012 के अनुसार वितरण लायसेंसी को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने का आदेश दिया गया तथा दिनांक 05.02.2012 को वितरण लायसेंसी की प्रतिनिधि प्रबंध संचालक तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया।

4. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नही है कि उपभोक्ता का गैर घरेलु संयोजन क्र 94–05–82869172, शॉन नं0 105, 28/2 ओल्ड पलासिया, अमरदर्शन अपार्टमेन्ट में मेसर्स इन्दिरा सेक्योरिटी सर्विस प्रा. लि. के नाम था। जुलाई 2010 तक उपभोक्ता के उक्त परिसर में संयोजित भार 10 कि0वा0 था। इसके उपरांत माह अगस्त 10 से संयोजित भार 30 कि0वा0 किया गया था। मार्च 11 में परिसर के मीटर का निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया था कि मीटर सही ढंग से कार्य नही कर रहा है। मीटर की जांच कराने के उपरांत नये मीटर की संगणना के आधार पर 12 माह की वास्तविक खपत के आधार पर उपभोक्ता को संशोधित बिल दिया गया था। उपभोक्ता द्वारा आपत्ती किये जाने पर उसे अगस्त 10 से मार्च 11 तक 8 माह की वास्तविक खपत का निर्धारण कर रू. 1,26,203/–(एक लाख, छब्बीस हजार, दो सौ तीन) मात्र का संशोधित देयक जारी किया गया था। इसी देयक के संबंध में उपभोक्ता द्वारा विद्युत उपभोकता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत की गई थी।

5. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 को कण्डिका 9.17 के प्रावधानों के अनुसार जिस अवधि में मीटर कार्यरत नही रहा है उस अवधि के मीटर

..... निरन्तर

के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जाना चाहिये। इस मामले में इस तरह बिल न बनाया जा कर नया मीटर लगाने के बाद जो 8 माह के औसत के आधार पर जो बिल बनाया गया है वह विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने उभय पक्षों को सुनने के पश्चात उपभोक्ता की शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह आदेश किया है कि मीटर, परिक्षण में त्रुटिपूर्ण पाया गया है इस लिये वास्तविक खपत के आधार पर जारी हुए बिल सुधार योग्य नही है। मीटर की त्रुटिपूर्ण अवधि के लिये मासिक किराया न लिया जाये तथा सहायक यंत्री द्वारा माह अप्रेल, 2012 के बिल में अतिरिक्त 22109 यूनिट जोडकर की गई बिलिंग जो कि सतर्कता विभाग द्वारा की गई बिलिंग से पृथक है, और दो बार दर्ज हो गई है को निरस्त किया जाता है। सतर्कता विभाग द्वारा किये गये खपत का निर्धारण सही किया गया है। वर्तमान बिलिंग में पावर फैक्टर सरचार्ज नही लगाया गया है।

7. विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या विद्युत वितरण कंपनी की ओर से मीटर खराब होने के कारण खराब मीटर के स्थान पर नये मीटर के दर्ज खपत के आधार पर उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा के प्रभार का देयक विधि संगत है?

<u>कारणों सहित आदेश इस प्रकार है</u> :–

8. विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ता के रू. 2,43,498/–(दो लाख, तेतालीस हजार, चार सौ अटठान्यवें) मात्र का देयक जारी किया गया था। उक्त देयक के संबंध में दिनांक 11.04.2012 को उपभोक्ता द्वारा आपत्ती की गई थी। उपभोक्ता की उक्त आपत्ती के संबंध में अधीक्षण यंत्री सतर्कता ने दिनांक 02.05.2012 को अंतिम निर्धारण आदेश पारित किया था। जबकि उपभोक्ता द्वारा इसकि पूर्व दिनांक 26.04.2012 को विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करायी गई थी। इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत दज्र कराने के बाद उक्त अंतिम निर्धारण आदेश पारित किया गया था।

9. अधीक्षण यंत्री सतर्कता ने इस आशय का अंतिम आदेश पारित किया था कि निरीक्षण एवं परीक्षण उपरांत उपभोक्ता परिसर में लगा ओमनीगेट कंपनी का मीटर डिफेक्टिव पाया गया । जिसके लिये नये मीटर द्वारा दर्ज खपत अनुसार डिफेक्टिव मीटर की पिछले 12 माह की खपत का निर्धारण किया जा कर उपभोक्ता को राशि रू. रू. 2,43,498/–(दो लाख, तेतालीस हजार, चार सौ अटठान्यवें) मात्र के भुगतान हेतु निर्धारण आदेश जारी किया। उपभोक्ता द्वारा आपत्ती दर्ज किये जाने पर प्रकरण की पुनः समीक्षा की गई तथा पिछले 12 माह के लिये किये गये निर्धारण को उचित नही पाया गया। निरिक्षण के 8 माह पूर्व माह जुलाई 10 तक उपभोक्ता का स्वीकृत/संयोजित भार 10 कि0वा0 था। उपभोक्ता द्वारा माह अगस्त 10 में भार वृद्धि का स्वीकृत/संयोजित भार 30 कि0वा0 तक बढ़ा लिया गया था। निरीक्षण उपरांत की उपभोक्ता का स्वीकृत/संयोजित भार 30 कि0वा0 था। अतः माह अगस्त, 2010 से निरीक्षण माह मार्च, 2011 तक (8 माह) के लिये डिफेक्टिव ओमनीगेट मीटर की खपत का निर्धारण करना न्यायोचित है। डिफेक्टिव ओमनीगेट मीटर द्वारा माह अगस्त, 2010 से निरीक्षण माह अगस्त, 2011 तक दर्ज खपत का औसत 6790 यूनिट/माह था जबकि निरीक्षण उपरांत माह अप्रेल, 2011 से अप्रेल, 2012 तक नये मीटर द्वारा दर्ज खपत का औसत 9344 यूनिट/माह है। अर्थात निरीक्षण पूर्व डिफेक्टिव ओमनीगेट मीटर द्वारा प्रतिमाह औसतन 2554 यूनिट कम दर्ज की गई है। इस प्रकार माह अगस्त 2010 से मार्च, 2011 तक मीटर द्वारा कुल (20432 यूनिट)(8 गुणे) 2554 यूनिट कम खपत दर्ज की गई। जिसके लिये लागू गैर घरेलु टैरिफ की दर से देय ऊर्जा प्रभार व अन्य प्रभार की गणना की जाती है। उपरोक्तानुसार पूर्व जारी निर्धारण आदेश

को पुनरीक्षित कर अंतिम आदेश जारी किया जाता है। उपरोक्त निर्धारण राशि रू 126203 आदेश प्राप्ति के 3 दिवस के अंदर संदाये करें।

10. अधीक्षण यंत्री सतर्कता के उक्त अंतिम निर्धारण आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि जिस मीटर को डिफेक्टिव अथार्त दोषपूर्ण कहा जाता है वह मीटर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संयोजित किया गया था। मीटर के दोषपूर्ण होने के लिये उपभोक्ता किसी तरह से उत्तरदायी नही था। अगस्त 2010 से मार्च, 2011 तक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उक्त मीटर का निरीक्षण नही किया गया था। मीटर का परीक्षण कराने पर इस आशय का कोई प्रतिवेदन प्राप्त नही किया गया था कि मीटर कितने यूनिट प्रतिदिन या प्रतिमाह कम खपत दर्ज कर रहा है। विद्युत वितरण कंपनी के पास कम यूनिट दर्ज होने के आधार मात्र यह था कि नया मीटर लगाने पर ज्यादा यूनिट की खपत दर्ज हुई है।

11. मीटर रीडिंग, बिलों को बनाना एवं बिलों के वितरण के संबंध में म0प्र0 विद्युत प्रदाय संहिता 2004 में जो प्रावधान है उनका अवलोकन किया जाना उचित होगा। संहिता की कंडिका 8.6 के अनुसार मीटर को सही कार्य स्थिती में रखने का दायित्व अनुज्ञप्तिधारी का है, और यदि अनुज्ञप्तिधारी मीटर को सही कार्य स्थिती में नही रखता तो मीटर खराब रहने की अवधि का किराया उपभोक्ता से नही लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

12. संहिता की कंडिका 8.14 के प्रावधानों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी का यह उत्तरदायित्व होगा की मीटर की स्थापना के पूर्व मीटर की परिशुद्धता से अपने को संतुष्ट कर ले और इस प्रयोजन हेतु वह मीटर का परीक्षण कर सकता है।

13. संहिता की कंडिका 8.16 के अनुसार मीटर की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी मीटर का परीक्षण कभी भी कर सकता है।

14. संहिता की कंडिका 9.16 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक बंद/खराब मीटर का ब्योरा अभिलिखित करना मीटर वाचक की जिम्मेदारी होगी।

15. विधि के उक्त उपबन्धों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि आवेदक उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर लगाया गया था वह अनुज्ञप्तिधारी अथार्त विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लगाया गया था तथा ऐसा मीटर लगाये जाते समय उस मीटर की जांच अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई थी। इस मामले उपभोक्ता के परिसर में लगाया गया मीटर वस्तुतः कब से खराब हुआ इसका कोई प्रमाण अनावेदक अनुज्ञप्तिधारी के ओर से प्रस्तुत नही किया गया है।

16. अनावेदक की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा अधीक्षण यंत्री सतर्कता के अंतिम निर्धारण आदेश दिनांक 02.05.2012 की अंतरवस्तु का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि वर्ष 2010 के जुलाई माह तक उपभोक्ता का संयोजित भार 10 कि0वा0 था तथा अगस्त 2010 में उपभोक्ता का संयोजित भार 30 कि0वा0 तक बढ़ा दिया गया था। इसके पश्चात उक्त मीटर में जो रीडिंग आती थी उसके अनुसार विद्युत देयक का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता था। वर्ष 2011 के मार्च माह में निरीक्षण किये जाने पर यह पाया गया था कि मीटर खराब है। अथार्त मीटर विद्युत ऊर्जा के खपत का सही ब्योरा दर्ज नही कर रहा है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि अगस्त 2010 से मार्च 2011 तक मीटर वाचक या विद्युत वितरण कंपनी के किसी अधिकारी द्वारा इस तथ्य को प्रश्नगत नही किया गया था कि आवेदक उपभोक्ता के परिसर में लगाया गया मीटर खराब है।

17. अगस्त 2010 में उपभोक्ता के परिसर में संयोजित भार 10 कि0वा0 से 30 कि0वा0 किया गया था। भार वृद्धि का निश्चित परिणाम विद्युत ऊर्जा की खपत में वृद्धि के रूप में परिलक्षित होना चाहिये। यदि मीटर में भार वृद्धि की संगणना नही हो रही थी या औसत रूप से कम हो रही थी तो इस बात को बड़ी आसानी से मीटर वाचक द्वारा पकड़ा जा सकता था तथा मीटर की जांच उसी समय करायी जा सकती थी। परन्तु ऐसा किया जाना नही पाया जाता है। म0प्र0विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की कंडिका 9.17 के प्रावधान विवाद के संबंध में सुसंगत है जो इस प्रकार हैः

9.17 जिस अवधि में मीटर कार्यरत नहीं रहा, उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व तीन मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जाएगा। यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिं की जा सकती है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में यदि मीटर कार्यरत नहीं रहा हो तथा चेक मीटर नहीं लगा हो या खराब हो तो ऐसी दशा में बिलिंग उपरोक्त दर्शाए आधार पर की जाएगी, यदि अनुज्ञप्तिधारी के मत से उपभोक्ता के परिसर की स्थितियॉ जिस महीने की औसत बिलिंग की जानी हो, उस महीने ऐसी रही हो, जिससे उपरोक्त आधार पर की गई औसत बिलिंग अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के पक्ष में सही नहीं हो तो ऐसी दशा में इस अवधि की औसत बिलिंग संबंधित वृत के प्रभारी द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से संतुष्ट नहीं जो तो वह स्थानीय क्षेत्र के प्रभारी को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय सामान्यतः मान्य होगा।

18. इस मामले में आवेदक उपभोक्ता के परिसर में जो मीटर लगा था उसमें चेक मीटर लगे होने का कोई साक्ष्य नही है ऐसी स्थिती में चेक मीटर में उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिट की बिलिंग किया जाना संभव नही है। अतः जिस अवधि में मीटर कार्यरत नही रहा उस अवधि के विद्युत प्रभार वसूली हेतु पूर्व 3 मीटर वारन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर ही बिल बनाया

जा सकता था। इस मामले में इस प्रावधान को लागू करने में कठिनाई यह है कि वर्ष जुलाई 2010 तक जो मीटर लगा था वह 10 कि0वा0 भार का था। अगस्त 2010 में भार बढ़ाने के साथ ही मीटर बदला गया था तथा मार्च 11 में जब मीटर की जांच की गई थी तो मीटर को प्रारंभ से अथार्त अगस्त 2010 से ही खराब होना पाया गया था। अतः बड़े हुए भार के बाद पूर्व के 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर बिल बनाया जाना संभाव नही था।

18. अनावेदक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मार्च, 2011 में नया मीटर लगाने के बाद नये मीटर मे आठ माह के वाचन के आधार पर उपभोक्ता की बिलिंग की गई है। इसी बिलिंग के संबंध में उपभोक्ता की मुख्य आपत्ती यह है कि विद्युत प्रदाय संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिस अवधि में मीटर कार्यरत न रहा हो या सही रूप से कार्य न कर रहा हो तो उस स्थिती में नया मीटर लगा कर नये मीटर के वाचन के आधार पर उपभोक्ता से बिलिंग की जाये।

19. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष उपभोक्ता द्वारा यही आपत्ती की गई थी परन्तु फोरम में उपभोक्ता के शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अनावेदक द्वारा उसे जो विद्युत देयक जारी किया गया था उसे सुधार योग्य नही पाया है। जबकि विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के उल्लिखित प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है की मीटर की स्थापना के पूर्व मीटर की परिशुद्धता से संतुष्ट होने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी पर है। अतः अगस्त 2010 में जब

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता के परिसर में नया मीटर स्थापित किया गया था, वह सही था यही उपधारणा की जाएगी।

20. मार्च 2011 में जब मीटर को खराब होना पाया गया था तब उसकी जांच अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कराई गई थी। परन्तु अनुज्ञप्तिधारी की ओर से ऐसी कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई है जिससे यह जानकारी प्राप्त की जा सके की मीटर कब से खराब था और विद्युत ऊर्जा के उपभोग की संगणना करने में किस दर से मीटर में गलती हो रही थी।

21. म0प्र0विद्युत संहिता, 2004 में ऐसा कोई प्रावधान नही है कि बंद/खराब मीटर पाये जाने पर नये मीटर की संगणना के आधार पर उपभोक्ता से विद्युत प्रभार की वसूली की जायेगी। अतः विद्युत वितरण कंपनी अथार्त अनावेदक, मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा दिनांक 02.05.2012 को तथा इसके पूर्व विद्युत प्रभार की वसूली हेतु जो अंतिम निर्धारण आदेश दिया गया है वह विधि संगत प्रतीत नही होता है।

22. उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के प्रश्नगत आदेश दिनांक 07.06.2012 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक अधीक्षण यंत्री (सतर्कता) म0प्र0प0क्ष0वि0वि0कं0लि0 इन्दौर उपभोक्ता के खराब मीटर के संबंध में विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के कंडिका 9.17 के प्रावधानों के अनुसार एक माह के अंदर अंतिम निर्धारण कर विद्युत प्रभार की वसूली हेतु बिल जारी करें। इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता द्वारा जो भी अतिरिक्त राशि जमा की गई हो उसे एक माह के अवधि के अंदर वापस किया जाये अथवा उपभोक्ता की सहमति से भविष्य के बिलों में उसका समायोजन किया जावे।

23. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल